

**यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय एवं पुर्नग्रहण कार्यों में लक्ष्यों की प्राप्ति न किये जाने की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया**

**परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि का प्रतिफल के भुगतान में पारदर्शिता बरतने तथा विक्रेता के खातों में धन भेजे जाने के निर्देश**

**सभी जिलाधिकारियों को कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु संसाधन उपलब्ध कराये गये**

लखनऊ : 08 मई, 2017

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरुण कुमार अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय करने के निर्धारित लक्ष्य से कम भूमि क्रय किये जाने की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना से जुड़े 09 जनपदों में भूमि क्रय के निर्धारित लक्ष्य 4724.5952 हेक्टेयर के सापेक्ष भूमि क्रय द्वारा 1793.2624 हेक्टेयर एवं पुर्नग्रहण द्वारा 33.7732 हेक्टेयर कुल 1827.0356 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जो निर्धारित लक्ष्य का 38.67 प्रतिशत है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने लखनऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा बाराबंकी के जिलाधिकारियों से वार्ता कर कार्य में तेजी लाने हेतु अनुरोध किया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े जनपदों में भूमि की आवश्यकता तथा भूमि क्रय/पुर्नग्रहण के आधार पर उपलब्धता की स्थिति जनपद वार निम्नवत् है :-

क्र० सं०	जनपद	भूमि क्रय/अधिग्रहण की आवश्यकता (हे० में)	क्रय के द्वारा उपलब्ध भूमि (हे० में)	पुनर्ग्रहण के द्वारा उपलब्ध भूमि (हे० में)	कुल उपलब्ध भूमि (हे० में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	225.9813	56.7923	0.6456	57.4379	25.42 %
2	बाराबंकी	472.1458	197.5846	2.5111	200.0957	42.38 %
3	अमेठी	194.8249	119.6550	1.2186	120.8736	62.04 %
4	सुल्तानपुर	1436.3798	666.2278	15.4700	681.6978	47.46 %
5	फैजाबाद	56.1067	48.90125	0.78500	49.6863	88.56 %
6	अम्बेडकर नगर	59.5127	45.0624	1.4650	46.5274	78.18 %
7	आजमगढ़	1261.0780	334.6299	10.6936	345.3235	27.38 %
8	मऊ	328.2490	184.9935	0.7633	185.7568	56.59 %
9	गाजीपुर	690.3170	139.4156	0.2210	139.6366	20.23 %
	<b>योग</b>	<b>4724.5952</b>	<b>1793.2624</b>	<b>33.7732</b>	<b>1827.0356</b>	<b>38.67 %</b>

श्री अवरस्थी ने बताया कि यूपीडा के 09 वरिष्ठ अधिकारियों को भूमि क्रय/अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु भेजा गया था, जिसके आधार पर भूमि क्रय हेतु दैनिक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे परियोजना हेतु आगामी 02 माह के अन्दर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा लें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं 15 दिन के अन्तराल पर भूमि उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि भू-स्वामियों को उनकी भूमि का प्रतिफल/मूल्य समय से उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को पर्याप्त मात्रा

में धनराशि आवंटित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सभी जनपदों में वाहन तथा कम्प्यूटर आपरेटर इस कार्य से जुड़े अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि भूमि क्रय के भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता बरतें। बैनामा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् भूमि का मूल्य/प्रतिफल संबंधित विक्रेता के खातों में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम समाज/सहकारी भूमि के अधिग्रहण कार्यों में तेजी लायी जाए।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु प्रारूप 18 पर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की स्थिति की समीक्षा की गयी। उन्होंने परियोजना के संरेखण में आने वाली भूमियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किये जाने के संबंध में परियोजना हेतु प्रारूप 18 में अंकित भूमि में से यूपीडा के पक्ष में क्रय की गयी भूमि को घटाकर संशोधित प्रारूप उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिये।